कार्यालय जिला खजिन प्रतिष्ठान (डी.एम.एफ.)कटनी

कक्ष क्र. 20, कार्यालय जिला पंचायत परिसर कटनी

निविदा क्रमांक/ /डीएमएफ/जि.पं./**2021** कटनी, दिनांक................

वाहन दर अनुबंध निविदा सूचना

जिला खजिन प्रतिष्ठान (डी.एम.एफ.) अंतर्गत स्वीकृत विभिन्न निर्माण कार्योंें का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण तथा खनिजों के उत्खनन एवं परिवहन की सघन मॉनीटरिंग हेतु टैक्सी कोटे के **04** वाहन बोलेरो/टीयूव्ही/स्कार्पियो अधिकतम मासिक दर राशि रू. 20000/-, दैनिक दर राशि रू. 700/- मासिक किराया एवं दैनिक दर पर किराये पर लिये जाने हेतु दरों का निर्धारण किया जाना है। अतः जिला खनिज प्रतिष्ठान (डी.एम.एफ.) कटनी में वाहन किराये पर देने हेतु इच्छुक पंजीकृत ट्रेवल एजेंसी/वाहन प्रदाता से दिनांक 10.08.2021 को समय 3.00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती हैं। जो कि दिनांक 10.08.2021 को सायं **04.00** बजे गठित समिति/ निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी।

निविदा प्रपत्र निविदा शर्तें एवं अन्य जानकारी के लिये कार्यालयीन समय में दिनांक 10.08.2021 को समय 3.00 बजे तक कार्यालय जिला खनिज प्रतिष्ठान (डी.एम.एफ.) कटनी में संपर्क किया जा सकता है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत एवं सदस्य सचिव
जिला खनिज प्रतिष्ठान कटनी

पृ. निविदा क्रमांक/ /डीएमएफ/जि.पं./**2021** कटनी, दिनांक................

प्रतिलिपिः-

1. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एनआईसी) जिला कटनी की ओर जिला कटनी की वेबसाईट www.Katni.nic.inमें अपलोड करने हेतु।
2. कार्यालय कलेक्टर कटनी, जिला पंचायत कटनी तथा खनिज शाखा कटनी की ओर सूचना पटल पर चस्पा हेतु ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत एवं सदस्य सचिव
जिला खनिज प्रतिष्ठान कटनी

निविदा - शर्ते

कार्यालय जिला खनिज प्रतिष्ठान (डी.एम.एफ.) कटनी की निविदा क्रमांक **4273** दिनांक **23.07.2021** के अनुसार जारी निविदा आमंत्रण सूचना में निविदा दिनांक **10.08.2021** तक वाहन प्रदाताओं से आमंत्रित की गई है । जिसमें कार्य का नाम, निविदा प्रपत्र तथा मुख्य शर्तो का उल्लेख है ।

निविदाकर्ता/वाहन प्रदाताओं को निम्न शर्तानुसार वाहन उपलब्ध कराना होगा । शर्ते निम्नानुसार हैः-

1. निविदा प्रपत्र पर वाहन का नाम, मॉडल एवं वर्ष तथा पंजीयन क्रमांक दर्शाना अनिवार्य है ।

2. वाहन के पंजीयन की प्रतिलिपि उपलब्ध कराना अनिवार्य है ।

3. वाहन **01** जनवरी **2021** की स्थिति में तीन वर्ष से अधिक पुराना नही होना चाहिये ।

4. इच्छुक वाहन प्रदाता ट्रेवल एजेंसी को निविदा खुलने के पश्चात कार्यालय की आवश्यकता अनुसार वाहन अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अवलोकन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

5. वाहन का समस्त मेंटीनेंस एवं वाहन चालक, वाहन प्रदाता/निविदाकर्ता के द्वारा ही उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका व्यय उसे स्वयं वहन करना होगा ।

6. निविदा स्वीकृत करने के पश्चात वाहन प्रदाता को निविदा में उल्लेखित वाहन प्रत्येक परिस्थिति में प्रतिदिन चालू एवं अच्छी स्थिति में उपलब्ध कराना होगा। वाहन उपलब्ध न कराये जाने पर आवश्यकतानुसार वाहन अन्य वाहन प्रदायकर्ता से किराये पर लिया जा सकेगा एवं इस पर लगने वाले अतिरिक्त किराये की राशि जो भी हो, स्वीकृत निविदाकर्ता से वसूली जावेगी। जिसकी पूर्ण जबाबदारी निविदाकर्ता की होगी ।

7. वाहन का माइलेज **10** किलोमीटर प्रति लीटर या वास्तवित माइलेज जो भी अधिक हो, की दर से पी.ओ.एल. जिला पंचायत द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा ।

8. वाहन प्रदाता को वाहन जिला खनिज प्रतिष्ठान (डी.एम.एफ.) कटनी कार्यालय में **24** घंटे प्रतिदिन उपलब्ध कराना होगा।

9. वाहन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कटनी के पूर्ण अधिपत्य में रहेगा ।

10. म**0**प्र**0**शासन गृह(सामान्य) विभाग वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक/**2973/3678/2010/**दो/ए-**3** दिनांक **22** सितम्बर **2010** अनुसार वाहन का उपयोग दूर दराज के दुर्गम क्षेत्रों में भ्रमण हेतु किया जाना है। अतः वाहन **6+1** सीटर को प्राथमिकता दी जावेगी ।

11. वाहन का उपयोग मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कटनी के निर्देश एवं मार्गदर्शन में किया जावेगा ।

12. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं सदस्य सचिव,जिला खनिज प्रतिष्ठान (डी.एम.एफ.) कटनी के बिना पूर्व अनुमति के वाहन प्रदाता वाहन नही ले जा सकेगा ।

13. निविदा खुलने के समय वाहन के समस्त कागजात (पंजीयन, बीमा एवं PUC certificate) निविदाकर्ता को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा वाहन का बीमा एवं समस्त प्रकार के करों का भुगतान वाहन मालिक द्वारा समयावधि में जमा करना अनिवार्य होगा । जिसका जिला खनिज प्रतिष्ठान (डी.एम.एफ.) कटनी द्वारा भुगतान नही किया जावेगा । वाहन किस समय तक किस सीमा तक उपयोग में लिया जाना है। इससे संबधित सर्वाधिकार निर्णय, कलेक्टर एवं अध्यक्ष,कार्यपालिका समिति, जिला खनिज प्रतिष्ठान (डी.एम.एफ.) कटनी के पास सुरक्षित रहेगा ।

14. वाहन का टैक्सी कोटे में पंजीयन होना अनिवार्य है ।

15. वाहन के साथ संलग्न किये जा रहे ड्राइवर के पास उपयुक्त वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य होगा।

16. अनुबंधित वाहन खराब होने की स्थिति में निविदाकर्ता एजेंसी द्वारा तत्काल अन्य वाहन उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

17. विवाद की स्थिति में कलेक्टर एवं अध्यक्ष, कार्यपालिका समिति, जिला खनिज प्रतिष्ठान (डी.एम. एफ.) कटनी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा ।

18. वाहन का अधिपत्य बिना किसी पूर्व सूचना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं सदस्य सचिव,जिला खनिज प्रतिष्ठान (डी.एम.एफ.) कटनी द्वारा निरस्त किया जा सकता है ।

19. प्राप्त निविदा को स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का पूर्णाधिकार कलेक्टर एवं अध्यक्ष, कार्यपालिका समितिए जिला खनिज प्रतिष्ठान (डी.एम.एफ.) कटनी के पास सुरक्षित होगा,जो कि अंतिम होगा ।

20. निविदादाता द्वारा दो सीलबंद लिफाफे प्रस्तुत किये जावेगें । जिसमें प्रथम लिफाफे में तकनीकी निविदा प्रपत्र व अन्य दस्तावेज तथा दूसरे लिफाफे में वित्तीय निविदा प्रपत्र रखा जावे । उक्त दोनो लिफाफे एक बड़े लिफाफे में रखे जावे ।

21. अनुबंध प्रपत्र के साथ धरोहर राशि के लिये राशि रू **2000.00** मात्र का डिमांड ड्राफ्ट ’’जिला खनिज प्रतिष्ठान (डी.एम.एफ.) कटनी ’’के नाम से प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

22. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में समाधान हेतु माननीय जिला न्यायालय कटनी होगा।

टीपः- कंडिका **1** से **22** तक की समस्त शर्ते मुझे स्वीकार है ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत एवं सदस्य सचिव
जिला खनिज प्रतिष्ठान कटनी म.प्र.

निविदा प्रपत्र (तकनीकी)

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत एवं सदस्य सचिव
जिला खनिज प्रतिष्ठान (डी.एम.एफ.) कटनी

विषयः- टैक्सी कोटे के वाहन मासिक एवं दैनिक दर किराये पर वाहन उपलब्ध कराने बावत ।

संदर्भः- आपकी निविदा क्रमांक **4273** दिनांक **23.07.2021**

विषयांतर्गत संदर्भित प्रकाशित निविदा के संबध में निर्धारित शर्तो पर जो जिला पंचायत द्वारा तय की गई है, मैं अपना वाहन मासिक किराये पर उपलब्ध कराने के लिये तैयार हूॅ। मेरे फर्म का विवरण निम्नानुसार है ।

1. ट्रेवल एजेंसी का नाम का नाम - ....
2. पंजीयन क्रमांक -...
3. स्थाई पता -...
4. पत्र व्यवहार का पता -...
5. दूरभाष नंबर -...
6. शासकीय/अशासकीय/अन्य उपक्रम का अनुभव -...
7. फर्म का वार्षिक टर्नओवर न्यूनतम **100000/-** **-...**
8. पैन कार्ड की सत्यप्रति -...
9. ब्लैकलिस्ट न होने का शपथ पत्र -...
10. निविदा शर्त क्रमांक **01** से **22** तक स्वीकार किये जाने का शपथ पत्र -...

टीपः- उपरोक्त दर्शाये गये वाहन विवरण से संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रति अनिवार्यतः संलग्न करें।

दिनांक हस्ताक्षर

निविदाकर्ता/ट्रेवल एजेंसी

संलग्नकः-

1

2

3

4

निविदा प्रपत्र (वित्तीय)

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत एवं सदस्य सचिव
जिला खनिज प्रतिष्ठान (डी.एम.एफ.) कटनी

विषयः- टैक्सी कोटे के वाहन मासिक एवं दैनिक दर किराये पर वाहन उपलब्ध कराने बावत ।

संदर्भः- आपकी निविदा क्रमांक **4273** दिनांक **23.07.2021**

विषयांतर्गत संदर्भित प्रकाशित निविदा के संबध में निर्धारित शर्तो पर जो जिला पंचायत द्वारा तय की गई है, मैं अपना वाहन मासिक किराये पर उपलब्ध कराने के लिये तैयार हूॅ। मेरे फर्म की दर एवं विवरण निम्नानुसार है ।

1. फर्म/वाहन प्रदाता का नाम - ....

2. पिता का नाम -.. ------

3. स्थाई पता -.. --.........

4. पत्र व्यवहार का पता -.. ----.............

5. दूरभाष नंबर -..

6. वाहन का विवरण -

क्रमांक	वाहन का प्रकार	वाहन का मासिक दर	वाहन की दैनिक दर
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

दिनांक

हस्ताक्षर
निविदाकर्ता/ट्रेवल एजेंसी